**CNR NO. UPBJ010007642020**
**JO CODE UP01598**

**<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।</u>**

सत्रवाद संख्या 214/2020

सरकार **बनाम** इसराईल आदि
मुकदमा अपराध संख्या 354/2019
धारा 08/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर।

**<u>आरोप</u>**

मैं, शगुन पंवार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर आप अभियुक्तगण **इसराईल व लईक कुरैशी** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 30–11–2019 को समय 08.10 बजे, बहद् स्थान मौ0 मंझौली पुरानी पानी की टंकी, थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आपको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया तथा नियमानुसार आपकी जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से एक पॉलीथीन में 18 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद हुआ। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो मादक द्रव्य एवं मनोत्तोजक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/21 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के लिये इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

**दिनांक: 19–01–2021** **(शगुन पंवार)**
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा परीक्षण की मॉग की।

**दिनांक: 19–01–2021** **(शगुन पंवार)**
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

Digitally signed by Shagun Panwar
Date: 2021.01.19 14:17:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।**

सत्रवाद संख्या 214/2020

सरकार **बनाम** इसराईल आदि

मुकदमा अपराध संख्या 354/2019

धारा 08/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर।

**दिनांक: 19.01.2021**

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण इसराईल व लईक कुरैशी से उपस्थित आये।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुना।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने धारा 226 दं0प्र0सं0 अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया। पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सम्यक् विचार करने के उपरान्त मैं इस मत पर पहुंचती हूँ कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/21 मादक द्रव्य एवं मनोत्तोजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का युक्तियुक्त पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया विद्यमान है। तदनुसार आरोप विरचित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

अभियुक्तगण इसराईल व लईक कुरैशी के विरूद्ध धारा 08/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 23–02–2021 को पेश हो। नियत दिनांक को गवाह तलब हों।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।